चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

शैक्षिक सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु

महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/ स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट ूण्बबेनूमइण्पद ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँब पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रवासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता (एक प्रतिशत), अंग–भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों आश्रित 2 प्रतिशत, और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश संख्या 3–1/2012छम्त् कंजमक 7जी डंतबीए 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016–17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक ;सपदाद्ध प्रवेश पोर्टल ूण्बबेनूमइण्पद के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी। विषय संयोजन आबंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेंगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा।

आरक्षित स्थान हेतु पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोटः– यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(घ) ;पद्ध अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

;पपद्ध प्रवेश सत्र 2015–16 से ट्रान्सजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(ड) ;पद्ध किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अंतर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

;पपद्ध इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/ संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

;पपपद्ध किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

;पअद्ध अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

;अद्ध सववित्तपोषित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/ संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।

(च) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती है, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी.बी.एस.ई, आई.सी.एस.ई. आदि) किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ०प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।

(छ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।

(ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम.ए. प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम.ए. करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(झ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ञ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अंतर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।

विशेष नोटः–

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

1. विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डो/ विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होगा।

2. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक): 60 (विद्यार्थी) अथवा 1

(शिक्षक): 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन सीट संख्या प्रति विषय प्रति उपलब्ध मान्य शिक्षक की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकृत होने पर इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यो को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तब उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरादायी होंगे।

3. ''शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/ 2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या– 1870/ सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1– 2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।''

4. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि उसने वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है?

निम्नलिखित विषय संयोजन स्नातक स्तर पर अनुमन्य नहीं है, किन्तु अन्तिम निर्णय विद्वत परिषद की बैठक के बाद घोषित किया जायेगाः–

- अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र
- हिन्दी तथा उर्दू
- गणित तथा संगीत
- सैन्य अध्ययन तथा गृह विज्ञान
- राजनीति विज्ञान तथा सांख्यिकी
- मनोविज्ञान तथा भूगोल
- समाज शास्त्र तथा चित्रकला
- शिक्षा तथा मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र

किसी भी अभ्यर्थी को बी.ए. में तीन साहित्यिक अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी.ए. की उपाधि प्रदान की जाएगी।

छवजमरू. प्द बेंम व छिंजपवदंस प्देजपजनजम व् िव्मद ैबीववसपदहए छमू क्मसीप जीम बंदकपकंजम उनेज ींअम चेंमक प्दजमतउमकपंजम म्गंउपदंजपवद ूपजी पिअम ेनइरमबजेण

5. अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी ;म्गण्जनकमदजद्ध के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. विद्यार्थी की वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक ;ॅमपहीजंहमद्ध दिए जायेंगे–

(अ) 4 प्रतिशत अधिभार ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ ;।प्न्द्ध अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ ;प्व्।द्ध द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा ै।प् ;ैचवतजे ।नजीवतपजल व् िप्दकपंद्ध द्वारा प्रशिक्षण प्राप्ति प्रमाण–पत्र धारक हो।

(ब) 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(स) 4 प्रतिशत अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/ सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(द) ;पद्ध 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने छब्ब का ष्ब्ष् या ष्ळ.प्प्ष् सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो

अथवा

;पपद्ध 2 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने छब्ब का ष्ठष् या ष्ळ.ष् सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

;पपपद्ध 3 प्रतिशत अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हत कक्षा/डिग्री के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना ;छण्ैण्ैण्द्ध के अन्तर्गत 240 घंटों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा 2 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घंटों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा 1 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने 240 घंटों की सेवा की हो या 120 घंटों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा—

;पद्ध 4 प्रतिशत अधिभार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

;पपद्ध 3 प्रतिशत अधिभार—राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

;पपपद्ध 2 प्रतिशत अधिभार—तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

;पअद्ध 1 प्रतिशत अधिभार—द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

2 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित परीक्षण के पश्चात आवश्यकता अनुसार कुलपति जी के आदेश से ैनचमतदनउमतंतल किया जा सकता है।

नोट—;पद्ध किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8 प्रतिशत तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को अधिकतम 12 प्रतिशत तक अधिभार दिया जा सकता है)

;पपद्ध किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

;पपपद्ध नियम 6(अ) के अंतर्गत अधिभार स्नातकोत्तर और एल—एल.बी. कक्षाओं में प्रवेश हेतु तभी देय होगा जबकि अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय खेलों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हुए भाग लिया हो। इण्टर कॉलिज के स्तर पर भाग लेने वालों को यह अधिभार केवल स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ही मान्य होगा। ऐसे प्रमाण—पत्रों की जाँचोपरान्त प्रवेश अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

7. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

8. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरांत तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के लगभग समान पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एल—एल.बी. के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

9. एक विद्यार्थी को संस्थागत रूप में बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम./एल–एल.बी., 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में, एम.ए./एम.एस.–सी./एम.एस–सी.(कृषि)/एम.कॉम./ एल–एल.एम./एम.पी.एड. चार वर्ष में बी.ए., एल–एल.बी. (इन्टीग्रेटेड) 8 वर्ष में बी.ए. बी.एड, (इन्टीग्रेटेड) 7 वर्ष में, किन्तु स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा अधिकतम सात वर्षों में पूर्ण करनी होगी तथा बी.एड./बी.पी.एड. और एम.एड. तीन वर्ष में, बी.एस.–सी. (कृषि) 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छः/सात/आठ वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र से मानी जायेगी जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरांत उसका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

10. एम.एस.–सी., एम.ए. भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे–

;पद्ध महाविद्यालय, विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

;पपद्ध एम.एस–सी., और एम.ए. में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी.एस.–सी./बी.ए. में ऊपर बताये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित है। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे। विद्यार्थी के योग्यता क्रम (मैरिट इन्डैक्स) का निर्णय तीन वर्षीय उपाधि की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के साथ विषय में प्राप्त अंकों, जिसमें उसे प्रवेश लेना है, को जोड़कर किया जायेगा। विषय में प्राप्त अंकों की गणना स्नातक के तीनों वर्षों की लिखित परीक्षा में प्राप्त पूर्ण अंकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्ताकों के आधे अंकों को जोड़कर की जाएगी। इसी प्रतिशत में नियमानुसार देय अधिभार अंक भी जोड़े जायेंगे।

;पपपद्ध प्रस्तर ;पपद्ध पर दिये गये विषयों से अलग एम.ए. के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम. एस–सी. (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

;पअद्ध एम.एस–सी. और एम.ए. (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक ;नइेपकपंतलद्ध विषय मान्य नहीं होगा। एम.एस–सी./सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है, परंतु एम.ए. प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक ;नइेपकपंतलद्ध विषय मान्य होंगे। एम.एस–सी. बायोइन्फोरमेटिक्स ;ठपवपदवितउंजपबेद्ध में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलॉजी ग्रुप/बायोटैक्नोलोजी/कम्प्यूटरसाइंस/गणित/ सांख्यिकी/माइक्रोबाइलोजी/बी.एम.एल.टी./बी.एस.–सी. (कृषि) में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

;अद्ध एम.एस–सी0 (गणित) में प्रवेश हेतु बी.सी.ए., बी.टैक. (मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी.एस–सी. (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

;अपद्ध एम.ए. के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वही विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

;अपपद्ध एम.ए. (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ए.(गणित)/बी.एस.–सी.(गणित)/बी.कॉम. अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात जारी की जायेगी। बी.ए. (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

;अपपपद्धएम.ए. (समाजशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी.बी.ए./बी.एस–सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात जारी की जायेगी। बी.ए. (समाजशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

;पगद्ध एम.ए. गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

11. ;पद्ध एल.–एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एल–एल.बी. (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक/पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक/परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात स्नातक से की जायेगी।

;पपद्ध जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी विश्वविद्यालय से एल–एल.बी. उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एल–एल.एम.) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।

;पपपद्ध एक अभ्यर्थी, जिसने एल–एल.बी. का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से जो कि इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उत्तीर्ण किया है, एल–एल.बी. के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

;पअद्ध कोई भी महाविद्यालय एल–एल.बी. प्रथम वर्ष में ठण्ब्ण्ण् द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेंगे।

12. ;पद्ध बी.कॉम. प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी.कॉम. में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा।

;पपद्ध बी.ए. में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

;पपपद्ध इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम., बी.ए. अथवा बी.एस–सी. में प्रवेश के लिए केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे, प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।

13. ;पद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

;पपद्ध ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

;पपपद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या /निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

;पअद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

;अद्ध अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं।

;अपद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः

ष्प्दल पदबपकमदज वतंहहपदह बवउमे जव जीम दवजपबम वजीम ंनजीवतपजलए जीम बवदबमतदमक ेजनकमदज ींसस इम हपअमद सपइमतजल जव मगचसंपदए ंदक पींपे मगचसंदंजपवद पे दवज विनदक ेजपेबिजवतलए जीम ंनजीवतपजल ूवनसक मगचमस ीपउ तिवउ जीम पदेजपजनजपवदण्ष्

;अपपद्ध कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड., एम.पी. एड., एल–एल.एम. व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

14. ;पद्ध बी.एड./बी.पी.एड. और एम.एड./एम.पी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी.एड., एम.एड. के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

;पपद्ध बी.एस–सी. (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को बी.एस–सी. (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कृषि से या जीव विज्ञान में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। इन परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी। इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.ए. (गृह विज्ञान)/बी.एस–सी. (गृह विज्ञान) तथा बी.एस–सी. (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

;पपपद्ध केवल वे अभ्यर्थी एम.एस–सी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे, जिन्होंने बी.एस–सी. (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम.एस–सी. (कृषि) में प्रवेश, योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

17. ;पद्ध एम.कॉम. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बी.बी.ए. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी.कॉम, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

;पपद्ध बी.सी.ए./बी.टैक. ;डमबीण्ध्ैध्प्ज्ध्म्ध्म्समबजतपबंसद्ध की परीक्षा बी.एस–सी. (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम.एस–सी. (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी.एस–सी. (गणित) को दी जायेगी।

;पपपद्ध बी.पी.ई.एस. (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/बी.एस–सी. (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

;पअद्ध एम.पी.ई.एस. (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

;अद्ध एल–एल.बी. (3 वर्षीय) एवं एल–एल.बी. (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।

;अपद्ध व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

18. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

19. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

20. ;पद्ध अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथम/एम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

;पपद्ध अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है वह बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

21. अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रभाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

24. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

25. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

26. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा पुनः देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

27. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

28. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।

29. बी.एस–सी. (फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अंतर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।

30. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब. आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिए अर्हता सूची में उल्लिखित है मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

31. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में छात्राओं को क्षैतिज ;भ्वतप्रवदजंसद्ध आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

32. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय–प्ट के प्रस्तर–4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक की परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

33. ठश्रडब्ए ठठ।ए ठथ।ए ठण्म्सण्म्कण्ए में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।

34. ठडस्ज् तथा ठडड के लिए 10+2 पी.सी.बी./पी.सी.एम. के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। ठव्ज्ए ठत्क्प्ज् तथा ठच्ज् के लिए मात्र पी.सी.बी. अनुमन्य है। च्वेज ठेंपब छनतेपदह के लिए 10+2 के साथ ळमदमतंस छनतेपदह ंदक डपकूपतिल में डिप्लोमा आवश्यक है। ठप्ैबण छनतेपदह के लिए 10+2 मात्र पी.सी.बी./पी.सी.बी.ई. के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है।

35. ठप्ैबण भ्वउम ैबपमदबम ;ब्सपदपबंस छनजतपजपवद – क्पमजमजपबेद्ध के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

36. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आदेशों का पालन किया जायेगा।

37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

40. डप्ैबण ;भ्वउम ैबपमदबमद्ध की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता ठप्ैबण ;भ्वउम ैबपमदबमद्ध 50 प्रतिशत अंकों के साथ रहेगी। थ्ववक – छनजतपजपवद पाठ्यक्रम के लिये ठप्ैबण भ्वउम ैबपमदबम ;ब्सपदपबंस छनजतपजपवद – क्पमजमजपबेद्ध उत्तीर्ण छात्र उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।

41. यदि छात्र उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के भीतर पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में उस महाविद्यालय अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। त्रुटि संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

42. समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

43. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित होगा। यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, वह भी समान हों तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः ।ए ठए ब्ए व प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू.जी.सी./आई.जी.एन.ओ.यू. तथा एन.आई.ओ.एस. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।